भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2791
बुधवार, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़, 1941 (शक)

प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत
कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन
योजना में कर्मचारियों का अंशदान

2791. श्री विशम्भर प्रसाद निषादः
श्रीमती छाया वर्माः
चौधरी सुखराम सिंह यादवः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन नए कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके लिए विगत तीन वर्षों के दौरान प्राधन मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना में नियोक्ताओं के पूर्ण अंशदान का भुगतान मंत्रालय द्वारा किया गया है;

(ख) इसके लिए भुगतान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान कितने नए कर्मचारियों को रोजगार दिया गया है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): 01.04.2016 से 31.03.2019 तक प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के अंतर्गत लाभान्वित कर्मचारियों की कुल संख्या 1.18 करोड़ है। इसका वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

वर्ष	लाभान्वित कर्मचारी
2016-17	33031
2017-18	3025084
2018-19	8746888
योग	**11805003**

01.04.2016 से 31.03.2019 तक भुगतान की गई धनराशि 4370.60 करोड़ रुपए है।

*****